

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,  
विशेष सचिव,  
३०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
राज्य नगरीय विकास अभियान,  
३०प्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-८३ में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-गाजीपुर की 14 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-५१९१/३२/१०/छ/विविध/२०१७-१८, दिनांक २१ मार्च, २०१८ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत" वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-८३ के अन्तर्गत जनपद-गाजीपुर की न०००००४०, जमानिया व मुहम्मदाबाद की विभिन्न मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग रोड, सी०सी० सङ्केत व कवर्ड नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग 14 परियोजनाओं हेतु कुल ₹० 155.62 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, उक्त के सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में परियोजना लागत का ५० प्रतिशत अर्थात् संलग्न तालिका के स्तम्भ-६ में अंकित धनराशि ₹० 77.81 लाख (रुपये सतहत्तर लाख इक्यासी हजार मात्र) की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहृष्ट स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

१. उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-११७/२०१७/१२७९/६९-१-१७-१४(३।।)/२०१२टीसी, दिनांक २६ अक्टूबर, २०१७ में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
२. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-६ के अध्याय-१२ के प्रस्तर-३१८ में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
३. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
४. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

क्रमशः.....2

मेरी जापानी कर्मसुक्रम अधिकारी

२७/७/१८

5. स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व सूडा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजना/आगणन का गठन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ई-8-1210-दस/2008 दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप किया गया है।
6. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित इडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, 30प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, विशेष सचिव तथा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बातचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

15. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
16. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2019 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक “2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-05-मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान” के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा० पत्र संख्या-ई-8-2162/दस-2018, दिनांक 19 जुलाई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

५५/१११

(अनिल कुमार बाजपेयी)

विशेष सचिव।

संख्या-५५/२०१८/५९९(१)/६९-१-१८, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०.२० सरोजनी नायू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, गाजीपुर।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-८, ३०प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, ३०प्र० शासन।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
11. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
12. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)

अनु सचिव।

शासनादेश संख्या- ४५५/2018/599(1)/69-1-18-77(म0ब0-83)/2018, दिनांक २५ जुलाई, 2018

का संलग्नक।

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृति की जाने वाली धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	गाजीपुर	न०पा०प०, जमानिया	वार्ड नं० 12 में बब्लू राम के घर से कन्या स्कूल तक ढक्कन युक्त नाली एवं सी०सी० का कार्य।	20.76	10.38
2	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 03 में प्रदीप चौहान के घर से प्रा०वि० जमानिया तक ढक्कन युक्त नाली एवं सी०सी० का कार्य।	26.46	13.23
3	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 02 में अर्जुन राम के घर से शिवमूरत बिन्द के घर होते हुए भरत बिन्द के घर तक ढक्कन युक्त नाली एवं सी०सी० का कार्य।	11.62	5.81
4	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 02 में राजेश बिन्द के घर से शशि बिन्द के घर तक ढक्कन युक्त नाली एवं सी०सी० का कार्य।	7.31	3.655
5	तदैव	न०पा०प०, मुहम्मदाबाद	वार्ड नं० 01 में विशुन राम के मकान से डौह बाबा तक ढक्कन युक्त नाली एवं सी०सी० का कार्य।	6.84	3.42
6	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 01 में किशुन राम के घर से रामराज के घर तक ढक्कन युक्त नाली एवं सी०सी० का कार्य।	1.42	0.71
7	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 01 में जीऊत के घर से लक्ष्मी राम के घर होते हुए वे जग्ना राम के घर होते हुए रमायन राम के घर तक ढक्कन युक्त नाली एवं सी०सी० का कार्य।	3.00	1.50
8	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 01 में नथुनी राम के घर से सुकमी राम व मिठुन राम व शम्भु राम के घर से होते हुए मैन रोड तक ढक्कन युक्त नाली एवं सी०सी० का कार्य।	15.69	7.845
9	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 01 में राम प्रवेश राम के घर से रमेश राम के घर होते हुए लालू राम के घर तक ढक्कन युक्त नाली एवं सी०सी० का कार्य।	1.43	0.715
10	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 04 में गाली मॉ के मंदिर से प्रमोद राय के मकान होते हुए अशोक गैनी के मकान तक ढक्कन युक्त नाली एवं सी०सी० का कार्य।	9.52	4.76
11	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 01 में गंगा विशुन राम के घर से फूलचन्द के घर होते हुए भिखुराम के घर तक ढक्कन युक्त नाली एवं सी०सी० का कार्य।	2.03	1.015
12	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 05 में नोनहरा मैन रोड से बरिया तक ढक्कन युक्त नाली एवं सी०सी० का कार्य।	8.66	4.33

13	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 12 में तंडी गेट से गुलेबान चौराहे तक ठक्कन युक्त नाली एवं सी०सी० का कार्य।	37.07	18.535
14	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 25 में नटराज कटरा के पीछे कल्लू गिरिहर के घर तक ठक्कन युक्त नाली एवं सी०सी० का कार्य।	3.81	1.905
योग				155.62	77.81

(रूपये सतहत्तर लाख इक्यासी हजार मात्र)।

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)

अनु सचिव।